[illegible] उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

[illegible]/2012

1. महेन्द्र कुमार पुत्र राधेश्याम जाति धाकड निवासी सीसवाली तह0 मांगरोल जिला बारां
2. द्रोपदी बाई बेवा राधेश्याम जाति धाकड निवासी सीसवाली तह0 मांगरोल जिला बारां

....वादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy Official

♠ बनाम ♠

1. नाथूलाल पुत्र श्री कान्हा जाति धाकड निवासी सीसवाली तह0 मांगरोल जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री बुद्धि प्रकाश मालव
वकील प्रतिवादी कम 1 : श्री दया कृष्ण धाकड
निर्णय दिनांक : 08.02.2018
दायरा दिनांक: 19.06.2012

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के शामलाती खाते की आराजी वाके माल सीसवाली तह0 मांगरोल में खाता संख्या नया 341 पुराना 346 की आराजी खसरा नं0 2950 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 2958 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 2959 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 5022 रकबा 0.31 है0, खसरा नं0 5023 रकबा 0.74 है0, खसरा नं0 5028 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 5031 रकबा 0.19 है0, खसरा नं0 5036 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 5235 रकबा 4.03 है0, खसरा नं0 5236 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 5237 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 5264 रकबा 2.24 है0, खसरा नं0 5289 रकबा 0.64 है0, खसरा नं0 5424 रकबा 2.97 है0, खसरा नं0 5425 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 5440 रकबा 0.03 है0 कुल किता 16 कुल रकबा 11.90 है0 स्थित है। उक्त शामलाती खाते की आराजी में वादीगण का हिस्सा 1/2 नियत है। एवं वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 मौखिक बंटवारे के आधार पर अपनी अपनी आराजी पर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन राजस्व रेकार्ड में कानूनी बंटवारा नही हुआ है। शामलाती खाते की आराजी होने से प्रतिवादी नं0 1 वादीगण की आराजी को नुकसान पहुचांते रहते है तथा वादीगण के हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी में दखलअंदाजी करते रहते है। इसलिये वादीगण के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वादीगण अपना हिस्सा अलग दर्ज करवाकर प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करावे कि वह वादीगण की आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करें व शांतिपूर्वक वादीगण को अपनी आराजी में काश्त करने देवे। अतः निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में

विरूद्ध एक डिकी इस आशय की पारित की जावे कि ग्राम सीसवाली तह0 मांगरोल में संख्या 341 पुराना 346 की आराजी खसरा नं0 2950 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 2958 रकबा खसरा नं0 2959 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 5022 रकबा 0.31 है0, खसरा नं0 5023 रकबा 0.74 खसरा नं0 5028 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 5031 रकबा 0.19 है0, खसरा नं0 5036 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 5235 रकबा 4.03 है0, खसरा नं0 5236 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 5237 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 5264 रकबा 2.24 है0, खसरा नं0 5289 रकबा 0.64 है0, खसरा नं0 5424 रकबा 2.97 है0, खसरा नं0 5425 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 5440 रकबा 0.03 है0 कुल किता 16 कुल रकबा 11.90 है0 में वादीगण का हिस्सा 1/2 कब्जानुसार पृथक से खातें दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें। व राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती की जाकर वादीगण का हिस्सा 1/2 अलग से दर्ज किया जावें, तथा प्रतिवादी नं0 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि वादीगण के हिस्से की आराजी पर किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 19.06.2012 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 की और से वकील दया कृष्ण धाकड ने वकालत नामा प्रस्तुत किया एवं जवाब दावा पेश किया अधिवक्ता प्रतिवादी कम 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा अनुसार कान्हा के मात्र दो पुत्र थे जिसमें से एक नाथूलाल वर्तमान में वाद पत्र में वर्णित आराजी में 1/2 हिस्से का खातेदार व वारिस है। दूसरा पुत्र राधेश्याम था जो फौत हो चुका है। राधेश्याम के वारिस उसका पुत्र महेन्द्र व पत्नी द्रोपदी बाई थे जो वाद पत्र में वर्णित आराजी के 1/2 हिस्से के खातेदार व स्वामी है। प्रार्थीया का उक्त आराजी से कोई वास्ता व सरोकार नही है।

प्रतिवादीगण को आज दिनांक बरवक्त सुनवाई तीन मर्तबा रूक–रूककर आवाज दिलवाई गई। तदुपरान्त भी वकील वादीगण अनुपस्थित है। हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजो पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निर्णय पर पहुचा है कि उक्त प्रकरण अन्तर्गत धारा 188 व 53 आर0टी0एक्ट द्वारा श्री महेन्द्र कुमार पुत्र राधेश्याम जाति धाकड निवासी सीसवाली व द्रोपदी बाई बेवा राधेश्याम जाति धाकड निवासी सीसवाली वादी पक्ष की अनुपस्थित में अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।